न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 23/2024

अनवान : –

1. रतन सिंह पुत्र अन्ने सिंह जाति राजपूत निवासी नीमला तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री संजय कुमार जोशी अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय **दिनांकः** 06/02/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 220/0 की कुल 13.5190 हैक्ट भूमि में से 1690/13519 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम रोहताष सिंह पुत्र अनेसिंह दर्ज है जो की सहवन से गलत दर्ज हुआ है प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम रतन सिंह पुत्र अन्ने सिंह है जो की प्रार्थी के समस्त दस्तोवेजात यथा आधारकार्ड, परिवार राशन कार्ड आदि में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी के खातेदारी हको का हनन हो रहा है इसलिए प्रार्थी मुताबिक दस्तावेजात अपना नाम रोहताष सिंह पुत्र अनेसिंह के स्थान पर रतन सिंह पुत्र अन्नेसिंह दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थी का मुताबिक दस्तावेज नाम दुरूस्त करे देवे जिससे प्रार्थी का कोई हिस्सा कम अथवा ज्यादा नही होना केवल नाम ही सशोधित होना है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 पेरोकार राज ने रिपोर्ट पेश इस आशय की पेश कि गई कि रोहताष पुत्र अनेसिंह व रतनसिंह पुत्र अन्नेसिंह एक ही व्यक्ति के नाम है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:19:19 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम रोहताष सिंह पुत्र अनेसिंह दर्ज है जो की सहवन से गलत दर्ज हुआ है प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम रतन सिंह पुत्र अन्ने सिंह

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है जो की प्रार्थी के समस्त दस्तोवेजात यथा आधारकार्ड, परिवार राशन कार्ड आदि में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी के खातेदारी हको का हनन हो रहा है इसलिए प्रार्थी मुताबिक दस्तावेजात अपना नाम रोहताष सिंह पुत्र अनेसिंह के स्थान पर रतन सिंह पुत्र अन्नेसिंह दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 220/0 की कुल 13.5190 हैक्ट भूमि में से 1690/13519 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रार्थी अपना नाम रोहताष सिंह पुत्र अनेसिंह के स्थान पर रतनसिंह पुत्र अन्नेसिंह दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम पेमाराम पुत्र हजारीराम दर्ज है तथा प्रार्थी के नाम के संबंध में सरपंच ग्राम पंचायत नीमला द्वारा भी तस्दीक पेश की गई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं सरपंच ग्राम पंचायत की तस्दीक के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 220/0 की कुल 13.5190 हैक्ट भूमि में से 1690/13519 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम **रोहताष सिंह पुत्र अनेसिंह के स्थान पर रोहताष सिंह उर्फ रतनसिंह पुत्र अन्नेसिंह का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच प्रार्थी के प्रार्थी के नाम रोहताषसिह पुत्र अनेसिंह के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का प्रार्थी के नाम रोहताषसिह पुत्र अनेसिंह के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम रोहताषसिह पुत्र अनेसिंह ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 06/02/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:19:19 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नोहर

पीठासीन अधिकारी : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
क्रमांक : रीडर / सशोधन / 2025 / 166 दिनांक : 12/02/25

तहसीलदार,
नोहर।

विषय :– प्रकरण स0 23 / 2024 अनवानी रतनसिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के संबंध में।

प्रकरण संख्या – 23 / 2024
अनवान : –

1. रतन सिंह पुत्र अन्ने सिंह जाति राजपूत निवासी नीमला तहसील नोहर।
–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।
– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 220 / 0 की कुल 13.5190 हैक्ट भूमि में से 1690 / 13519 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम **रोहताष सिंह पुत्र अनेसिंह के स्थान पर रोहताष सिंह उर्फ रतनसिंह पुत्र अन्नेसिंह का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच प्रार्थी के प्रार्थी के नाम रोहताषसिह पुत्र अनेसिंह के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का प्रार्थी के नाम रोहताषसिह पुत्र अनेसिंह के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम रोहताषसिह पुत्र अनेसिंह ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:19:19 IST
Reason: SelfAttested